

RoDTEP योजना में सत्यापन व्यवस्था

स्रोत: द हट्टि

सरकार यह सत्यापन करने के लिये एक प्रणाली स्थापित कर रही है, कि केवल उपयोग की गई सामग्री (इनपुट शुल्क) पर भुगतान किये गए करों को **RoDTEP योजना** के तहत वापस किया जाता है।

- अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कुछ भारतीय निर्यातों पर **सब्सिडी-विरिधी शुल्क** लगाया, भले ही निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) योजना का उद्देश्य इनपुट करों की प्रतपूर्ति करना हो।
- ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि **भारतीय निर्यातक** अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान प्राप्त RoDTEP लाभों और इनपुट करों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से **प्रदर्शित नहीं कर सके**।
- सरकार के अनुसार नई सत्यापन प्रक्रिया एक **टीम के माध्यम से** संचालित होती है, जिसमें राजस्व विभाग और **वदिश व्यापार महानिदेशालय** के अधिकारी शामिल होते हैं।
- यह निर्यातकों की **वैधानिक रूप से जाँच करेगा** और RoDTEP भुगतान को सब्सिडी के बजाय वास्तविक कर पुनर्भुगतान के लिये उचित दस्तावेज़ **सुनिश्चित करके** इस मुद्दे का समाधान करेगा।
- जनवरी 2021 में भारत ने **मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ़ॉर्म इंडिया सकीम (MEIS)** से RoDTEP योजना की ओर **स्वचि कर दिया**। यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि MEIS को **वशि्व व्यापार संगठन (WTO)** के अन्य सदस्य देशों से आलोचना का सामना करना पड़ा।
 - उन्होंने तर्क दिया कि MEIS द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्यातकों को भुगतान की गई राशियों के द्वारा उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर भुगतान किये गए करों से कैसे संबंधित है।



Extending Support

Refund of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme implemented from Jan 1, 2021

Offers 0.3-4.3% incentive to 8,555 products in sectors such as marine, agri, and gems & jewellery

But excludes pharma, steel and chemicals



Commerce ministry will need additional ₹2,000 cr to expand coverage under scheme

Chemical sector eyes a remission rate of 2.3-2.9%

Pharma industry seeks 5-6%

It's a crucial move as India's Sept exports shrank 3.5% on weak global demand

